:: नेशनल लोक अदालत समझौतानामा ::

नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रं. 12 / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाम्पा, (छ0ग0)

(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती गंगा पटेल)

डाकेट

दिनांक–12.11.2022

शासन वि0 शत्रुहन देवांगन+1अन्य

दां0प्र0क्रं0–719 / 2022

छ0ग0राज्य द्वारा :– आरक्षी केन्द्र – चांपा

प्रार्थी / आहत	कमलेश बरेठ पिता ओमप्रकाश बरेठ उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम कुरदा थाना चांपा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
	विरूद्ध
अभियुक्त / अभियुक्तगण	1. शत्रुहन देवांगन पिता सम्मेलाल देवांगन उम्र 38 वर्ष 2. बिक्कू उर्फ दुर्गेश साहू पिता विक्रम साहू उम्र 20वर्ष दोनों निवासी– देवांगन मोहल्ला ग्राम कुरदा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0

---

(01) **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–** अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2022 को रात्रि करीब 20:30 बजे बंगला चौक के पास प्रार्थी के द्वारा अपने उधारी पैसे मांगने पर आरोपी शत्रुहन देवांगन क्यों दूंगा कहते हुए गाली गलौच करने लगा तब प्रार्थी के द्वारा मना करने पर आरोपीगण एकराय होकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र क्रं0–432 / 2022 धारा 294, 506, 323, 34 भा0दं0सं0 का दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रं0–334 / 2022 न्यायालय में पेश किया गया।

::–अधिनिर्णय / आदेश–::

(आज दिनांक 12.11.2022 को नेशनल लोक अदालत में पारित)

(02) उभयपक्ष के द्वारा दिनांक 14.10.2022 को राजीनामा आवेदन पत्र इस आशय आशय का पेश किया गया कि उभयपक्ष का बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा हो गया है।

उक्त संबंध में **उभयपक्ष से आवेदन के संबंध में पूछे जाने पर** राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है एवं उभयपक्ष के द्वारा बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा होने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उभयपक्ष के द्वारा बताया गया है कि उनके मध्य बिना किसी डर, दबाव के राजीनामा हो गया है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आरोपी/आरोपीगण को आरोपित अपराध **धारा 294, 506, 323, 34 भा0दं0सं0** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

(03) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति–एक नग बबूल का डण्डा मूल्यहीन एवं अनुपयोगी होने से नियमानुसार नष्ट किया जावें।

(04) प्रकरण में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत–मुचलका भारमुक्त किया जाता है।

(05) इस आदेश की एक प्रति उभयपक्ष को निशुल्क दिया जावे। अधिनिर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

सही/–

श्रीमती गंगा पटेल)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्रं0–12 चाम्पा,
जिला–जांजगीर–चाम्पा, छ0ग0

(श्री ओ.पी.देवांगन अधिवक्ता)
सदस्य